

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 595]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर 2010—अग्रहायण 2, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2010

क्र. 24639-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.

## मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०१०

## मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, २०१०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० है.

अनुसूची संशोधन.

का

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
२.	आईसेक्ट विश्वविद्यालय	आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
३.	एमिटी विश्वविद्यालय	रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का इस अधिनियम के अधीन गठित नियामक आयोग द्वारा मूल्यांकन किए जाने का उपबंध करती है। उक्त उपबंध के अधीन नियामक आयोग ने गौहरगंज जिला रायसेन में आईसेक्ट विश्वविद्यालय एवं ग्वालियर में एमिटी विश्वविद्यालय के नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के अधीन राज्य सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए संबंधित विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों को आशय पत्र जारी कर दिये हैं। उक्त अधिनियम की धारा ९ उपबंध करती है कि नियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से संतुष्ट होने के पश्चात् उक्त अधिनियम की अनुसूची में उसके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए,

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १५ नवम्बर, २०१०.

लक्ष्मीकांत शर्मा  
भारसाधक सदस्य.